

कार्यालय ग्राम पंचायत पारेवर

पंचायत समिति जैसलमेर (राज.) 345001

बाबूराम सुथार

सरपंच

निवास : गांव पो. पारेवर, जैसलमेर (राज.)

मोबाईल - 9413948381

क्रमांक - 571.प/2022-23/28

प्रेषित :-

दिनांक 30.05.2022

महाप्रबंधक (खान),
मै. वन्डर सीमेंट लि.,
जैसलमेर प्रोजेक्ट, जैसलमेर।

विषय:- प्रार्थना पत्र मै. वन्डर सीमेंट लि. बाबत प्रस्तावित रेलवे लाईन के लिए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के संबंध में।

महोदय,

विषय संबंध में आपके पत्र दिनांक 27.05.2022 के संलग्न कंपनी द्वारा प्रस्तावित रेलवे लाईन बिछाने के संबंध में प्रेषित किये गये प्रस्तावित योजना का नक्शा Alternate Route-2 में दर्शाई गई भूमि पर रेलवे लाईन बिछाने के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करवाने का निवेदन किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम लीला पारेवर एवं पारेवर में जंहा पर रेलवे लाईन बिछाई जाना प्रस्तावित है, वह समस्त भूमि राजकीय एवं चराई योग्य है। ग्राम पंचायत के अधिकांश लोग पशुपालक एवं किसान है एवं इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। प्रस्तावित रेलवे लाईन में ग्राम पंचायत की दो पक्की मुख्य सड़को पर कॉसिंग भी प्रस्तावित है। रेलवे लाईन के लिये प्रस्तावित भूमि ग्राम पंचायत के पशुधन की चराई के लिए उपयोग में ली जा रही है। उपरोक्त दोनों मुख्य सड़को का उपयोग ग्रामवासियों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन के लिए तथा पशुधन को समीप की गोचर एवं सिवायचक भूमि पर चराई के लिये लाने-लेजाने के लिये प्रतिदिन उपयोग किया जाता है।

इस कारण से उपरोक्त रेलवे लाईन के प्रस्ताव से ग्रामवासियों एवं निर्धन पशुपालकों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित होगी तथा मुख्य सड़को पर आवागमन भी सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से संचालित नहीं होने से जन-जीवन प्रभावित होगा। प्रस्तावित रेलवे लाईन पर मालगाड़ियों के निरन्तर संचालन से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण होगा जिसका आम जनता एवं पशुधन पर निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्राम पारेवर में प्रस्तावित रेलवे लाईन के नजदीक एक बड़ा भू भाग वन विभाग को आवंटित है तथा गांव के एक ओर खनिज सम्पदा होने के कारण माईन्स एवं प्लांट लगने से तथा दूसरी ओर रेलवे लाईन डालने से गांव चारों ओर से घेर लिया जावेगा तथा ग्राम के लिये आबादी भूमि एवं गौचर भूमि विस्तार के लिये तथा सार्वजनिक कार्यों के लिये भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी।

उपरोक्त कारणों एवं पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत को आप द्वारा नक्शा Alternate Route-2 में दर्शाई गई भूमि पर रेलवे लाईन बिछाने के संबंध में ग्राम वासियों एवं ग्राम पंचायत का पुरजोर विरोध एवं आपत्ति है। अतः आप की मांग के अनुसार जनहित में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद अगर उपरोक्त Route के हिसाब से रेलवे लाईन डालने की कोशिश की गई तो हम समस्त ग्रामवासियों द्वारा आंदोलन किया जायेगा। सूचनार्थ प्रेषित है।

(Rajendra Bora)
General Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

(Rajendra Bora) 31.5.2022
General Manager (Mines)
Wonder Cement Limited
Jaisalmer Project

बाबूराम
सरपंच
ग्राम पंचायत पारेवर
प.स. जैसलमेर